राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 2225/2018**

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
|---|---|---|
| पुनाराम जाट<br>आमला त0 फलोदी]<br>जोधपुर , राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>कार्यकारी निदेशक<br>राजस्थान राज्य पथ परिवहन<br>निगम, मु0, जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 10-05-2018**

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री सीताराम, लिपिक ग्रेड प्रथम उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 08-08-2017 के द्वारा पेश की गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही के संबंध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि मेरे द्वारा 11 शिकायतें पेश की गई हैं जिन पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी, यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन में वांछित सूचना फलोदी आगार से संबंधित होने के कारण पत्र दिनांक 09-08-2017 के द्वारा आवेदन का अन्तरण किया जाकर अपीलार्थी को प्रति प्रेषित की गई है। आवेदन के बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना अपीलार्थी को पत्र दिनांक 06-09-2017 के द्वारा प्रेषित की गई है। बिन्दु संख्या 1 से 3 के बाबत सूचना प्रथम अपील निर्णय दिनांक 17-10-2017 के बाद जाँच पूर्ण होने पर पत्र दिनांक 07-11-2017 के द्वारा प्रेषित की गई है। इससे पूर्व अपीलार्थी को विनिश्चय पत्र दिनांक 06-09-2017 से प्रेषित किया गया है। पत्र दिनांक 02-11-2017 से अपीलार्थी को प्रथम अपील निर्णय की सूचना प्रेषित की गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 04-04-2018 प्रस्तुत किया है। जिसके साथ पत्र दिनांक 09-08-2017, 06-09-2017 व 02-11-

2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

**(सुरेश चौधरी)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**